


भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-185/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
06.04.2019	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-181, दिनांक- 26.03.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.03.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक रेंगो गागराई, पिता/पति- स्व० चन्द्र मोहन गागराई, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- कोलचकड़ा, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- वार्ड नं०- 05 (पुराना), थाना नं०- 685, खाता नं०- 158, प्लॉट नं०- 233, रकवा- 0.11 ए०, क्रेता अनुज हेम्ब्रम, पिता/पति- दुबराज हेम्ब्रम, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- भुजुसाई, पो०- रोलाडीह, थाना- चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक रेंगो गागराई, पिता/पति- स्व० चन्द्र मोहन गागराई, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- कोलचकड़ा, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>विक्रेता एवं क्रेता का थाना- चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता का जाति हो (अ.ज.जा.), समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि ईलाज कराने एवं मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमे विक्री के पश्चात विक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 2.51.000 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता रेंगो गागराई, पिता/पति- स्व० चन्द्र मोहन गागराई, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- कोलचकड़ा, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम, 12,00,000 (बारह लाख) रुपये में उक्त भूमि बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक हो उसका निबंधन शूलक अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित</p>	

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर


 भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर